बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली- 2019

पत्रांकः- 414021 पटना, दिनांक :- 26.02.2019

ग्रा.वि.-3/स्था-05-02/2015 (पार्ट)

जी.एस.आर. - भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली, 2010" (समय-समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ । - (1) यह नियमावली "बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली- 2019" कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।

बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली- 2010 की अनुसूची-1 का प्रतिस्थापन ।- उक्त नियमावली, 2010 की अनुसूची निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

"अनुसूची-1

संवर्ग	**पदनाम**
मूल संवर्ग	ग्रामीण विकास पदाधिकारी
	सहायक परियोजना पदाधिकारी
	अवकाश रक्षित
प्रथम प्रोन्नति	प्रखंड विकास पदाधिकारी
	कार्यपालक दंडाधिकारी
द्वितीय प्रोन्नति	परियोजना पदाधिकारी -सह- निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
	परियोजना पदाधिकारी -सह- निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम
	जिला विकास पदाधिकारी
तृतीय प्रोन्नति	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
	प्रमंडलीय विकास पदाधिकारी
चतुर्थ प्रोन्नति	अपर निदेशक

नोट :-

(i) उक्त पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा संसूचित किया जाय ।

(ii) उक्त पदों का पे-बैंड एवं ग्रेड पे/वेतन स्तर वही होगा जैसा समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाय ।"

बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली, 2010 के नियम 8 (iii) का प्रतिस्थापन ।- उक्त नियमावली, 2010 का नियम 8 (iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा -

"(iii) "बेसिक ग्रेड में प्रथम पदस्थापन ग्रामीण विकास पदाधिकारी/ सहायक परियोजना पदाधिकारी के पद पर होगा ।"

बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली, 2010 के नियम 10 का प्रतिस्थापन ।- उक्त नियमावली, 2010 का नियम 10 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा - "10, "द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ प्रोन्नति पदक्रम (ग्रेड) के पदों को वरीयता -सह- योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

26/2/2019

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव

ज्ञापांक :- 414021 पटना, दिनांक :- 26.02.2019

प्रतिलिपि - प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. की दो प्रतियों के साथ बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित ।

उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की पांच सौ प्रतियाँ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

26/2/2019

सचिव

ज्ञापांक :- 414021 पटना, दिनांक :- 26.02.2019

प्रतिलिपि - महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी ग्रामीण विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/2019

सचिव

ज्ञापांक :- 414021 पटना, दिनांक :- 26.02.2019

प्रतिलिपि - सचिव, बिहार विधान परिषद् / सचिव, बिहार विधान सभा / निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

26/2/2019

सचिव

ज्ञापांक :- 414021 पटना, दिनांक :- 26.02.2019

प्रतिलिपि - आई.टी. प्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित ।

26/2/2019

सचिव